

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 296 / 2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. सुन्दरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
2. बलजिन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
3. सिकन्दरसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
4. बीकरसिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया

—वादीगण—

बनाम

1. सुखदेवसिंह पुत्र बन्तासिंह पुत्र केसरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
2. तेजासिंह पुत्र बन्तासिंह पुत्र केसरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
3. जगासिंह पुत्र बन्तासिंह पुत्र केसरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
4. लाभसिंह पुत्र बन्तासिंह पुत्र केसरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
5. मखनसिंह पुत्र मेलूसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
6. राजासिंह पुत्र मेलूसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
7. सुलखन पुत्र मेलूसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
8. हजूरसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया

डिक्री



—प्रतिवादीगण—

दिनांक :- 6.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे वहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री वकील प्रतिवादी..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 1 पीपीपी

14
महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बलजिन्द्र सिंह, सुन्दरसिंह पि. गुरदेवसिंह बहिब जाति जटसिख सा.नुकेरा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
157/133	46	4/1/0.063 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै.मु.खाला,

2. बीकर सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
157/132	45	17,24/0.253 है. प्र. कुल 0.506

3. सिकन्दरसिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
157/132	45	3/0.253 है. 8/2/0.126 है. 19/0.253 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5201 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6.2.2024.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया